BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 12 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ के आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त संजय पुत्र फतेहचन्द शर्मा निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में थाना छतारी क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 21.09.2015 को थाना छतारी पर मुअसं- 274/2015 धारा- 354 भादवि व 8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 12.10.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 12.07.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संजय को 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर